न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :–श्रीमति रक्षा पारिक,R.A.S.)

प्रकरण संख्या:– 2025/244 राजस्व वाद

निर्णय दिनांक– 10.09.2025

अनवान

1. चेनसिंह पिता इन्द्रसिंह जाति राजपूत आयु 63 वर्ष निवासी नला, नेगडिया, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

..... प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रसिंह पिता डुलेसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी नला, नेगडिया, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय देलवाडा, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देलवाडा, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 जा.दी.

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सी पी सी पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की मौरूसी एवं पैतृक कृषि भूमियां राजस्व ग्राम नेगडिया, पटवार हल्का नेगडिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र देलवाडा, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में स्थित है जिनका विवरण निम्न है:–

परिशिष्ट अ खाता संख्या नया 725 पुराना 47 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 1807 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1012 हैक्टेयर

उपरोक्त आराजीयात् में विपक्षी संख्या 01 का 3/5 हक व हिस्सा निहित है।

परिशिष्ट ब खाता संख्या नया 47 पुराना 24 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 1825,1861,3569/1857,3570/1857,3587/1841 कुल किता 05 कुल रकबा 3.8887 हैक्टेयर

उपरोक्त आराजीयात् में विपक्षी संख्या 01 का 1/5 हक व हिस्सा निहित है।

परिशिष्ट स खाता संख्या नया 284 पुराना 252 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 1852,3593/1824,3594/1825 कुल किता 03 कुल रकबा 0.0758 हैक्टेयर

उपरोक्त आराजीयात् में विपक्षी संख्या 01 का 1/30 हक व हिस्सा निहित है।

परिशिष्ट द खाता संख्या नया 46 पुराना 251 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 1826 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2276 हैक्टेयर

उपरोक्त आराजीयात् में विपक्षी संख्या 01 का 1/10 हक व हिस्सा निहित है।

प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 से 04 के परिवार का सजरा इस प्रकार है:–

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

2025/2

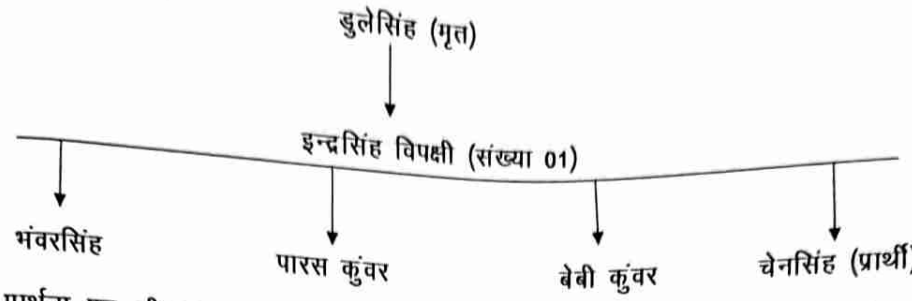

डुलेसिंह (मृत)

इन्द्रसिंह विपक्षी (संख्या 01)

भंवरसिंह | पारस कुंवर | बेबी कुंवर | चेनसिंह (प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमियां मौरूसी मिल्कियत की होकर पूर्व में उक्त कृषि भूमियां डुलेसिंह के नाम पर थी तथा डुलेसिंह के फौत होने पर उक्त कृषि भूमियां हक व हिस्से अनुसार उनके वारिसों के नाम दर्ज हुई तथा डुलेसिंह के फौत होने से हक व हिस्सा अनुसार विपक्षी संख्या 01 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 का पुत्र होकर उक्त कृषि भूमियों में प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा होने से प्रार्थी उक्त विवादग्रस्त मौरूसी कृषि भूमि में अपना 1/5 हक व हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी है तथा साथ ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने का भी अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित संपत्ति मौरूसी मिल्कियत की संपत्ति है, विपक्षी संख्या 01 की स्वअर्जित संपत्ति नहीं है। विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थी व उसके भाई के मध्य विभाजन कर अलग–अलग आधिपत्य सुपुर्द कर दिया है और प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि काश्त कर रहा है एवं विपक्षी संख्या 01 ने वादग्रस्त कृषि भूमि को अपने नाम पर दर्ज होने से विक्रय हस्तांतरण करने की धमकी दी, जिससे प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया। प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 का पुत्र होने से प्रार्थी का भी उक्त मौरूसी कृषि भूमि में हक व हिस्सा होने से प्रार्थी उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियों में से अपने हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी है तथा जब तक प्रार्थी उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा घोषित नहीं करवा देता तब तक विवादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थी, विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व विक्रय हस्तांतरण संबंधित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का भी जन्म से हक व हिस्सा होने प्रार्थी अपने हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी है तथा प्रार्थी अपना हिस्सा घोषित नहीं करवा देता तब तक विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि विपक्षी संख्या 01 विवादग्रस्त कृषि भूमियों को किसी भी अन्य दिगर व्यक्तियों को विक्रय हस्तांतरण नहीं करें। इस आशय की प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। विपक्षी संख्या 02 उपपंजीयन अधिकारी के विरूद्व भी प्रार्थी इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि विपक्षी संख्या 01 विक्रय हस्तांतरण संबंधित या अन्य किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन करने हेतु प्रस्तुत करें तो उसका पंजीयन नहीं करे , इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण होकर सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिंदू प्रार्थी के पक्ष में है यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं फरमाई गई तो प्रार्थी को ऐसी अशोधनीय क्षति होगी जिसका अंकन अर्थ में करना कदापि संभव नहीं होगा तथा प्रार्थी अपने हक व अधिकारों से महरूम हो जाएगा जबकि विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने पर विपक्षीगणों का कोई सारवान नुकसान होने वाला नहीं है तथा कानुनी तीनों ही बिंदू प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक प्रचलित फरमाई जावें कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित परिशिष्ट अ से द की कृषि भूमियों को विपक्षी संख्या 01 किसी अन्य व्यक्ति, संस्था आदि को किसी भी रीति से विक्रय हस्तांतरण नहीं करें तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 02 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक प्रचलित फरमाई जावें कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित परिशिष्ट अ से द की कृषि भूमियों के संबंध में विपक्षी संख्या 01 के द्वारा किसी तरह का विक्रय हस्तांतरण संबंधित दस्तावेज पेश करने पर उस दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें, न अपने अधिनस्थ कर्मचारी से करावे तथा विपक्षी संख्या 03 राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री वगतराम डांगी उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि–

1. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 प्रस्तुत रूप सं अस्वीकार है। प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद आप माननीय न्यायालय में अवश्य प्रस्तुत किया है परन्तु उसके कोई ठोस आधार नहीं होने से प्रार्थी को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 रेकर्ड पर आधारित है।
3. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 स्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 प्रस्तुत रूप में अस्वीकार है। वादी अपनी सुदृढ साक्ष्य से साबित करावें।
5. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा झुठे तथ्य अंकित कर उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा पूर्व में जो भूमि विक्रय की व भूमि अवाप्ति की जो राशि मिली वो वाद के प्रतिवादी संख्या 02 व प्रार्थी द्वारा बराबर भाग में प्राप्त कर ली। उस समय प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 के भरण–पोषण हेतु व परिवार में सामाजिक अवसरों पर होने वाले खर्चा भी दोनों पुत्र प्रार्थी व वाद के प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा वहन किया जाना तय किया लेकिन प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 की पत्नि और प्रार्थी की माता फेफकुंवर का देहान्त दिनांक 25.09.2006 को हो गया। जिसके ईलाज आदि विपक्षी संख्या 01 व वाद के प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा ही किया गया। लेकिन माता के देहान्त के बाद विपक्षी संख्या 01 के परिवरिश वाद के प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा ही की जा रही है तथा विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से जो भूमि कूका पिता उदा डांगी निवासी रठुंजना से क्रय की उसका आधा हिस्सा प्रार्थी की पत्नि के नाम पर पंजीयन कराया। जिसका सारा खर्चा विपक्षी संख्या 01 द्वारा वहन किया तथा विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपनी निजी स्वअर्जित संपत्ति में से भी 1/2 हिस्से के हिसाब से भूमि दे रखी है लेकिन करीब 20 वर्ष से अधिक समय से अपने छोटे पुत्र वाद के प्रतिवादी संख्या 02 के साथ ही निवास कर रहा है तथा वाद के प्रतिवादी संख्या 02 ही भरण पोषण, खाने–पीने, दवाई, ईलाज आदि का खर्चा करता चला आ रहा है। प्रार्थी न ही अपने पिता से कोई बात करता है, न ही कोई खर्चा देता है और कहता है कि ऐसे बाप और सांप को मारना ही अच्छा है। जबकि विपक्षी संख्या 01 के दोनों पुत्रीयों का विवाद करा दिया गया है तथा वे दोनों अपने ससुराल में निवास करती है। उनके मायरे आदि का खर्चा भी वाद के प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में ही उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। विपक्षी संख्या 01 अपने नाम भूमि को उपयोग–उपभोग करने का पूरा अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा पिता की सेवा नहीं की जा रही है। इसलिये विपक्षी अपने 89 वर्ष की उम्र में कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिये उक्त भूमि को विक्रय हस्तांतरण करने का भी पूरा अधिकार है। इसलिये प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
6. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 06 झुठी व मनगढन्त होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता की सेवा आदि भी नहीं की जा रही है। न ही प्रार्थी अपने पिता को भविष्य में भरण–पोषण, दवाई–ईलाज कराना चाहता है। प्रार्थी के भी अपने पिता के प्रति जो फर्ज होते है उसे निभाना आवश्यक है। उक्त भूमि अभी वर्तमान में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसका अभी भी विभाजन नहीं हुआ है और प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 की मृत्यु के उपरान्त

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

ही उक्त भूमि की घोषणा अपने नाम कराने का अधिकारी है। इसलिये प्रार्थी किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराने का अधिकारी नहीं है।

7. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 07 झुठी व मनगढन्त होने से अस्वीकार है। केवल मात्र मौरूसी भूमि होना ही आवश्यक नहीं है। लेकिन अपने माता पिता की सेवा करना भी प्रार्थी की जिम्मेदारी बनती है। जब प्रार्थी को अपने हिस्से की घोषणा कराने की तो जानकारी है लेकिन अपने माता पिता की सेवा करने की जानकारी भी होनी चाहिये और अपने परिवार में होने वाले सामाजिक समारोह आदि में बराबर खर्चा भी अदा करना पडता है। यह सारा खर्चा वाद के प्रतिवादी संख्या 02 ही वहन कर रहा है। प्रार्थी व उसका परिवार वर्तमान में उदयपुर में निवासरत है। मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। इसलिये भी प्रार्थी अपने नाम घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है।
8. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 08 अस्वीकार है। प्रार्थी कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
9. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 09 अस्वीकार है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में है।
10. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 10 न्यायालय द्वारा विचारणीय है शेष प्रार्थना है जो अस्वीकार है।

विशेष कथन

प्रार्थी द्वारा उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में जो अपने हिस्से की मांग की जा रही है उतनी भूमि विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से क्रय कर प्रार्थी की पत्नि सज्जन कुंवर के नाम पर रजिस्ट्री कराकर सुपूर्द कर रखी है। इसलिये प्रार्थी उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में कोई हिस्सा नहीं मांगता। न ही अपने नाम घोषणा कराने का अधिकारी है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता पक्षकारान् द्वारा की गई बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने हेतु निवेदन किया गया। विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जमाबंदी, प्रस्तुत खसरा परिशोधन पत्र एवं खसरा मिलान का अवलोकन किया गया उक्त दस्तावेजों के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमियां प्रार्थी की पैतृक मौरूसी भूमियां है अर्थात् विपक्षी संख्या 01 द्वारा स्व–अर्जित आय से क्रय की गई भूमियां नहीं होकर अपने पिता दुल्हेसिंह जी के जीवनकाल की होकर विरासतन् कृषि भूमियां है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से हक–हिस्सा निहित होता है। यदि दौराने वाद वादग्रस्त आराजीयात् का अंतरण हो जाता है तो पक्षकारान् के मध्य अनावश्यक पेचिदगियां बढने की संभावना बढती है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निहित होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:–

–: आदेश :–

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र अंतर्गत आदेश 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा तामूल वाद के निस्तारण से राजस्व ग्राम नेगडिया, पटवार हल्का नेगडिया, तहसील देलवाडा की वादग्रस्त आराजीयात् खाता संख्या नया 725 पुराना 47 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 1807 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1012 है., खाता संख्या नया 47 पुराना 24 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 1825,1861,3569/1857,3570/1857,3587/1841 कुल किता 05 कुल रकबा 3.

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

8887, खाता संख्या नया 284, पुराना 252 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 1852,3593/1824,3594/1825 कुल किता 03 कुल रकबा 0.0758, खाता सुख्या नया 46 पुराना 251 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 1826 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2276 है. भूमि में प्रार्थी के हिस्से तक की भूमि का अंतरण नहीं करें। इस हेतु विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी के हिस्से तक की भूमि का अंतरण नहीं करें अर्थात् रेकर्ड की यथास्थिति बनाएं रखें। पत्रावली फैसल शुमार हो/मूल वाद के साथ संलग्न होकर/ दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द